राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर बेंच

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 768/2020

श्री श्रीवत्स राठी पुत्र श्री अरुण राठी, आयु लगभग 37 वर्ष, निलंबित निदेशक, राठी टीएमटी सरिया प्राइवेट लिमिटेड एसपी 71-72, रीको औद्योगिक क्षेत्र, खुशेरा, भिवाड़ी, जिला अलवर- 301019, जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री अखिलेश कुमार झा

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, जरिये सचिव, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, रजतपथ मार्ग, ई ब्लॉक,केंद्रीय सचिवालय, नई दिल्ली-110011 ।
2. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, जरिये सचिव (राजस्व), नॉर्थ ब्लॉक, नईदिल्ली-110001 ।
3. नामित समिति (सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना, 2019) जरिये अतिरिक्त आयुक्त, अलवर आयुक्तालय

----उत्तरदाता

याचिकाकर्ता (ओं) के लिए : सुश्री माही यादव, अधिवक्ता। श्री नीरज कुमार यादव,अधिवक्ता के साथ

उत्तरदाता (ओं) के लिए : श्री किंशुक जैन, वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता,सीबीआईसी की ओर से श्री जय उपाध्याय, अधिवक्ता एवं श्री हिमांशु अग्रवाल, अधिवक्ता सहित।
श्री देवेश बंसल, अधिवक्ता के साथ
श्री सी.पी. शर्मा, अधिवक्ता,भारत संघ(यू.ओ.आई.) की ओर से

माननीय श्रीमान. जस्टिस अवनीश झिंगन

माननीय श्रीमती. जस्टिस शुभा मेहता

<u>आदेश</u>

<u>24/01/2025</u>

अवनीश झिंगन, जे (मौखिक):-

1. यह याचिका *सबका विश्वास* विरासत विवाद समाधान योजना, 2019 (इसके बाद 'योजना') के तहत दायर आवेदन की अस्वीकृति से व्यथित होकर दायर की गई है।

2. संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता मेसर्स राठी टीएमटी सरिया प्राइवेट लिमिटेड का निदेशक है। कंपनी पर वर्ष 2008 में आबकारी विभाग की टीम द्वारा की गई तलाशी का समापन 25.02.2011 के एक निर्णायक आदेश में हुआ, जिसमें याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाया गया था। याचिकाकर्ता सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण ('सीईएसटीएटी') तक असफल रहा। इस न्यायालय के समक्ष अपील के लंबित रहने के दौरान, याचिकाकर्ता ने अपील वापस लेने के बाद इस योजना के तहत एक आवेदन दायर किया। जिस मामले में जुर्माना लगाया गया था, उसमें याचिकाकर्ता को 12.12.2018 को अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (आर्थिक अपराध), जयपुर महानगर द्वारा दोषी ठहराया गया था। इस योजना के तहत दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया और इसलिए वर्तमान याचिका प्रस्तुत की गई।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि ऑनलाइन संचार के माध्यम से यह सूचित करना कि आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है, एक गैर-वाचनात्मक आदेश है।

4. प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2019 (इसके बाद 'वित्त अधिनियम') की धारा 125 का हवाला देते हुए कहा कि योजना के तहत आवेदन उसी मामले में अप्रत्यक्ष कर अधिनियम के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्ति द्वारा दायर नहीं किया जा सकता है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि दोषसिद्धि अभी अंतिम नहीं हुई है और अपील लंबित है। आगे तर्क दिया गया कि अपील मूल कार्यवाही के क्रम में है और यह मामला वित्त अधिनियम की धारा 125 के अंतर्गत नहीं आता है।

6. इस स्तर पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा उठाया गया तर्क मात्र शैक्षणिक प्रकृति का है, और इस पर विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है।

7. योजना के अंतर्गत दायर आवेदन इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि याचिकाकर्ता दोषी है और इसलिए इस स्तर पर हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। आपराधिक अपील में याचिकाकर्ता की सफलता की स्थिति में, याचिकाकर्ता इस मुद्दे को पुनर्जीवित करने के लिए उपाय करने के लिए स्वतंत्र

होगा कि क्या वित्त अधिनियम की धारा 125 का हवाला देते हुए योजना के अंतर्गत घोषणा को खारिज किया जा सकता था।

8. तदनुसार, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(शुभा मेहता), जे **(अवनीश झिंगन), जे**

हिमांशु सोनी/15

रिपोर्ट योग्य:- हाँ

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाशा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निश्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"

Tarun Mehra

Tarun Mehra

Advocate